न्यायालय :— विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण)
(अपर सेशन न्यायाधीश **सं0—1), नोहर**, जिला—हनुमानगढ
(**लिंक** न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश **सं0—2** नोहर)

लिंक पीठासीन अधिकारी —: **रामकन्या सोनी,**
R.J.S.(D.J. Cadre)

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या —: **149/2026**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **210/2025** पुलिस थाना नोहर
अपराध अंतर्गत धारा **8/21, 29** एन.डी.पी.एस. एक्ट

जोगिन्द्र पुत्र जगदीश निवासी वार्ड सं0 2 अम्बेडकर कॉलोनी अस्पताल के पास हिसार (हरियाणा)

——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, नोहर।

——अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0

उपस्थिति :—

01. श्री गौरव चौधरी, अधिवक्ता — प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. श्री दलीप सिंह, विशिष्ट लोक अभियोजक — राज्य की ओर से।

—: आदेश :—

दिनांक :— 02—06—2026

01. श्रीमान् अपर सेशन न्यायाधीश सं0—1 नोहर के अवकाश पर होने से प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0 इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस सुनी गई।

02. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अपने जमानत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30—05—2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रथम सूचना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई अपराध बनना नहीं पाया

जाता है, जिसकी सजा आजीवन कारावास या मौत हो। प्रकरण के अनुसंधान पूर्ण होकर विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तथाकथित बरामदगी से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी इलाका हाजा का रहने वाला है, जिसके भागने व फरार होने का अंदेशा नहीं है, इसलिए प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

03. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध का अभियोग है, उसके विरूद्ध पूर्व में भी इसी प्रकृति का एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है, इसलिए उसका जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

04. प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

05. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29—05—2025 को वक्त 2:00 पी.एम. पर बालाजी कॉलोनी वार्ड सं0 1 नोहर से अभियुक्त राजकुमार की पहनी हुई लोअर की बाईं साईड की जेब से एक पारदर्शी थैली सहित कुल **13 ग्राम हेरोईन (चिट्टा)** पुलिस ने बरामद किया, जिसे अपने कब्जा में रखने का लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया, आदि तथ्यों की फर्द बरामदगी के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रकार है—

क्र.सं.	मु0नं0	पुलिस थाना	धारा	नतीजा कोर्ट
01.	484/20	हिसार शहर	**21B-61-85 NDPS ACT**	Pending

06. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस अब तक अपने अनुसंधान में धारा 8 / 21 सपठित धारा 29 स्वापक औषधि एवम् मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित माना है। प्रार्थी / अभियुक्त दिनांक 30—05—2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत प्रकरण में **कुल 13 ग्राम हेरोईन (चिट्टा)** बरामद किए जाने का तथ्य आया है। प्रार्थी / अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो

उसके विरूद्ध पूर्व में भी **एक आपराधिक प्रकरण इसी प्रकृति के अपराध से संबंधित दर्ज है।** प्रकरण के सह—अभियुक्त का जमानत आवेदन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध का अभियोग है। वर्तमान में नोहर क्षेत्र में इस प्रकार की तस्करी के काफी मामले सामने आ रहे हैं और इस प्रकार की तस्करी से युवा वर्ग अपने पथ से पथभ्रष्ट हो रहा है। अतः प्रकरण की उक्त विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

07. अतः प्रार्थी/अभियुक्त जोगिन्द्र पुत्र जगदीश निवासी वार्ड सं0 2 अम्बेडकर कॉलोनी अस्पताल के पास हिसार (हरियाणा) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0 अस्वीकार कर **ख़ारिज़** किया जाता है।

(रामकन्या सोनी)

08. आदेश आज दिनांक **02—06—2026** को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकन्या सोनी)